एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 04 (जुलाई-अगस्त, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

(*डॉ. मेघा साहू)
सहायक प्रोफेसर (संविदा), कृषि अर्थशास्त्र विभाग, बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, खंडवा
(राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश)
*संवादी लेखक का ईमेल पता: meghasahu2810@gmail.com

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही उपयोगी योजना है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) भारतीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अगस्त 1998 में शुरू की गई एक क्रेडिट योजना है। यह योजना भारत के किसानों को, कृषि आवश्यकताओं के लिए अग्रिम वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, आर. वी. गुप्ता समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा तैयार की गई थी।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसानों को कृषि क्षेत्र की व्यापक ऋण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता करना और 2019 तक मत्स्य पालन और पशुपालन के लिए ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना था। भाग लेने वाले संस्थानों में सभी वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं। इस योजना में फसलों के लिए अल्पकालिक ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं। केसीसी क्रेडिट धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत मृत्यु और स्थायी विकलांगता के लिए ₹50,000 तक और अन्य जोखिमों के लिए ₹25,000 तक कवर किया जाता है। प्रीमियम, बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार की तरफ से किसानों को ₹50000 से लेकर ₹300000 तक का लोन दिया जाता है। यानी अगर आप एक किसान है और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है तो आप ₹50000 से ₹300000 तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। 1.6 लाख रुपये तक की राशि के ऋण के लिए किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होगी। इस स्कीम के तहत किसानों को 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता अवधि पांच वर्ष है, इसे तीन और वर्षों तक बढ़ाने का विकल्प है। किसानों को दिया जाने वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्रेडिट दो प्रकार का होता है,

1. कैश क्रेडिट (कार्यशील पूंजी के लिए जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक) और
2. टर्म क्रेडिट (पूंजीगत व्यय जैसे भूमि विकास मवेशियों की खरीद, पंप सेट, ड्रिप सिंचाई, आदि।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना मे बैंकों द्वारा समान रूप अपनाने के लिए किसानों को उनकी जोत के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी किआ जाता है। केसीसी किसानों को नकद ऋण प्रदान करता है ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आदानों को आसानी से खरीदने के लिए उनका उपयोग कर सकें। केसीसी फसल के बाद के खर्चों, उपज विपणन ऋण, किसानों के लिए घरेलू उपभोग आवश्यकताओं, कृषि संपत्तियों और संबंधित गतिविधियों को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी और कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है। यह योजना किसानों लिए लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया। वर्ष 2004 में संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियाँ। बजट-2018-19 में, सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधा के विस्तार की घोषणा की।

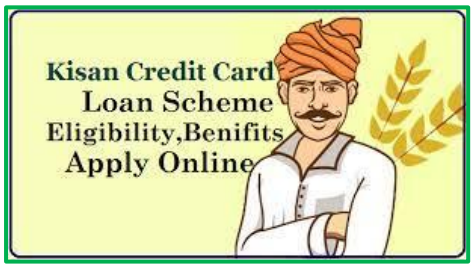

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के लिए पात्रता मानदंड: कोई भी व्यक्तिगत किसान जो मालिक-कृषक है। वे लोग जो एक समूह से संबंधित हैं और संयुक्त उधारकर्ता हैं। समूह का मालिक-कृषक होना चाहिए। बटाईदार, किरायेदार किसान या मौखिक पट्टेदार केसीसी के लिए पात्र हैं।

केसीसी के लिए आवेदन करने के लिए आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 75 वर्ष से कम होनी चाहिए। और यदि उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो एक सह-उधारकर्ता तैयार करना अनिवार्य होता है जो या तो आपका कानूनी उत्तराधिकारी हो या निकटतम रिश्तेदार हो।

कार्यान्वयन एजेंसियां:

- वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)
- लघु वित्त बैंक
- सहकारिता

केसीसी ऋण योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- हस्ताक्षरित विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र।
- पहचान प्रमाण की प्रतिलिपि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि।
- पते के प्रमाण दस्तावेज़ की प्रतिलिपि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस । प्रमाण में वैध होने के लिए आवेदक का वर्तमान पता होना चाहिए।
- जमीन के दस्तावेज.
- आवेदक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो।
- बैंक कोई और दस्तवेज भी मांग सकता है

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया: किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी की जा सकती है।

ऑनलाइन

- आप जिस बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाएं।
- विकल्पों की सूची में से किसान क्रेडिट कार्ड चुनें।
- 'अप्लाई' के विकल्प पर क्लिक करने पर वेबसाइट आपको एप्लिकेशन पेज पर रीडायरेक्ट कर देगी।
- आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- ऐसा करने पर एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भेजा जाएगा.
- यदि आप पात्र हैं, तो बैंक 3-4 कार्य दिवसों के भीतर आगे की प्रक्रिया के लिए आपसे संपर्क करेगा।

ऑफलाइन

ऑफलाइन आवेदन अपनी पसंद के बैंक की शाखा में जाकर या बैंक की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करके भी किया जा सकता है। आवेदक शाखा में जा सकता है और बैंक प्रतिनिधि की मदद से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकता है। एक बार औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, बैंक का ऋण अधिकारी किसान के लिए ऋण राशि में मदद कर सकता है।

मत्स्य पालन और पशुपालन के तहत इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी हैं:

अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि: मछली किसान, मछुआरे, एसएचजी, जेएलजी और महिला समूह। एक लाभार्थी के रूप में, आपके पास मत्स्य पालन से संबंधित किसी भी गतिविधि का स्वामित्व या पट्टा होना चाहिए। इसमें एक तालाब, एक खुले जल निकाय, एक टैंक, या एक हैचरी का स्वामित्व या पट्टे पर लेना शामिल है।

समुद्री मत्स्य पालन: आपके पास एक पंजीकृत नाव या किसी अन्य प्रकार की मछली पकड़ने वाली नाव है और आपके पास मुहाने या समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आवश्यक लाइसेंस या अनुमति है।

पोल्ट्री: व्यक्तिगत किसान या संयुक्त उधारकर्ता, एसएचजी, जेएलजी, और भेड़, खरगोश, बकरी, सूअर, पक्षी, मुर्गी पालन के किरायेदार किसान और उनके पास स्वामित्व, किराए या पट्टे पर लिए गए शेड हैं।

डेयरी: किसान, डेयरी किसान, एसएचजी, जेएलजी, और किरायेदार किसान जो शेड के मालिक हैं, पट्टे पर देते हैं या किराए पर लेते हैं।

यदि केसीसी ऋण का भुगतान नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि दो फसल सत्रों के लिए मूलधन या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो अल्पकालिक फसलों के लिए ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) माना जाता है।योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी ऋणी कृषकों के लिए बीमा कवरेज पर जोर देना अनिवार्य है। संबंधित बैंकों/सरकार द्वारा गैर-मानक केसीसी/फसल ऋण को अनिवार्य रूप से कवर नहीं किया जाएगा। नियामक. हालाँकि, बैंक शाखाएँ ऐसे किसानों को गैर-ऋणी किसानों के रूप में नामांकन की सुविधा दे सकती हैं।

विशेषताएँ:

यह योजना एटीएम-सक्षम RuPay डेबिट कार्ड के साथ संबद्ध है जिसमें एक बार दस्तावेज़ीकरण, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि और सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी की सुविधा है।

संतृप्ति सुनिश्चित करने के अलावा, बैंक आधार को तुरंत लिंक करने के लिए भी कदम उठाए जाएगे क्योंकि यदि आधार संख्या केसीसी खातों से नहीं जुड़ी है तो कोई ब्याज छूट नहीं दी जाएगी।

इसके अलावा, सरकार ने केसीसी संतृप्ति के लिए कई पहल की हैं जिनमें पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसानों को जोड़ना, केसीसी के तहत ऋण की कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं और संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को रुपये1 लाख से 1.6 लाख रु. से करना शामिल है।

केसीसी सुविधा से मत्स्य पालन और पशुपालन करने वाले किसानों को जानवरों, पोल्ट्री पक्षियों, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन और मछली पकड़ने की उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

केसीसी के उद्देश्य:

- फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना।
- फसल कटाई के बाद का खर्च.
- उत्पादन विपणन ऋण.
- किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकताएँ।
- कृषि परिसंपत्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी।
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता।

वित्तीय प्रावधान:

किसानों को प्रति वर्ष 7% की उचित लागत पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना. भारत सरकार 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण के लिए 2% की ब्याज छूट योजना लागू करती है। इसके अलावा, भारत सरकार किसानों को 2% की ब्याज छूट और 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है।

केसीसी का दुरुपयोग कैसे होता है?

- धन को गैर-कृषि उपयोग में लगाया जाता है:
- ऋण अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की ओर स्थानांतरित किया जा रहा है।
- वाहनों की खरीद
- रियल एस्टेट में निवेश
- विदेशों में बच्चों की उच्च शिक्षा
- केसीसी रूट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है.
- अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि की मात्रा बढ़ा दी जाती है।

सिफ़ारिशें क्या हैं?

- सभी बैंकों को केसीसी के दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करना चाहिए,
- केसीसी आवेदन की उचित पावती आवेदकों को दी जानी चाहिए
- आवेदन पर समय-सीमा में निर्णय तय किया जाना चाहिए।
- अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए ताकि फील्ड अधिकारी फॉर्म में सुधार कर उसे दोबारा जमा कर सकें।
- जो गरीब मछुआरे कोई जमानत देने में असमर्थ हैं, उन्हें केसीसी दिया जाना चाहिए।